भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1020
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

1020. श्री मलविंदर सिंह कंग :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय/पहल की गई है ;

(ग) देश भर में राज्य-वार कितनी फास्ट-ट्रैक अदालतें कार्यरत हैं ; और

(घ) विगत दो वर्षों में, विशेषकर पंजाब में, न्यायिक अवसंरचना के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 21.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

क्र. सं.	न्यायालय **का नाम**	लंबित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	86,742
2.	उच्च न्यायालय	63,30,409
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,65,27,906

(ख) : सरकार ने न्यायालयों में मामलों के तेजी से निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जो निम्नानुसार हैं :

i. न्याय परिदान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन, संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यमों से लंबित मामलों में कमी करके और उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि करके तथा पालन मानक और क्षमताओं की स्थापना करके पहुंच में अभिवृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों से अगस्त, 2011 में स्थापित किया गया था । मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की पदसंख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर बल देते हुए, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना भी है ।

ii. न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के सन्निर्माण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं, जिससे विभिन्न पणधारियों जिसके अंतर्गत वादकारी भी है, का जीवन आसान हो जाएगा, जिससे न्याय के परिदान में सहायता होगी । 1993-94 में इस स्कीम के प्रारंभ से आज30.06.2025 तक, 12,101.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या (30.06.2014 तक) 15,818 से बढ़कर (30.06.2025 तक) 22,372 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या (30.06.2014 तक) 10,211 से बढ़कर (30.06.2025 तक)19,851 हो गई है ।

iii. ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण 1 और 2 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी समर्थता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया था और 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालय कम्प्यूटरीकृत किए गए थे । 2977 स्थानों में वॉन कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी । 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा समर्थ बनाई गई थी । 778 ई-सेवा केंद्र वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए स्थापित किए गए थे । 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए थे जिनमें मार्च 2023 तक 2.78 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 384.14 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने की वसूली की है ।

13.09.2023 को, 7,210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना (2023-2027) के चरण-3 को अनुमोदित किया गया था, इसका लक्ष्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागजरहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय में अधिकतम आसानी की व्यवस्था शुरू करना है । इसका आशय न्याय परिदान को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है । अब तक, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों

में 506.05 करोड़ पृष्ठों के न्यायालय अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.65 करोड़ से अधिक सुनवाई हो चुकी हैं और 11 उच्च न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग चालू है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-सेवा केंद्रों (सुविधा केंद्रों) की संख्या बढ़कर 1814 हो गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय में मामला प्रबंधन सुनवाई और मौखिक निर्णयों के लिप्यंतरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग किया जा रहा है।

iv. सरकार समय-समय पर भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरती रही है। तारीख 01.05.2014 से 21.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 70 न्यायाधीश नियुक्त किए गए । उक्त समय के दौरान उच्च न्यायालयों में 1058 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 794 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए थे । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1122 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :

तारीख को	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
21.07.2025	25,843	21,122

स्रोत : न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों और संबद्ध उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है ।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायामूर्तियों के सम्मेलन में पारित एक संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियां स्थापित की गई हैं । जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियां स्थापित की गई हैं ।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, जघन्य अपराधों के मामलों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुडे मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है । तारीख 30.06.2025 तक, देश भर में 865 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े दांडिक मामलों को तेजी से निपटाने के उद्देश्य से, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम को अनुमोदित किया है । तारीख 30.06.2025 तक, 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 392 अनन्य पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 725 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने

इसके आरंभ से 3,34,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है ।

vii. लंबित मामलों को कम करने और न्यायालयों में रुकावटों को दूर करने के उद्देश्य से, सरकार ने हाल ही में परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 जैसी विभिन्न विधियों में संशोधन किया है ।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को आनुक्रमिक रुप से बढ़ावा दिया गया है । तदनुसार, वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थन-पूर्व मध्यकता और निपटारा (पीआईएमएस) को आज्ञापक बनाते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था । पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यकता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। विवादों के शीघ्र समाधान हेतु माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधन किए गए हैं|

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है, जो किसी मामले में दक्ष, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन का उपबंध करता है, जिससे किसी विवाद का समय पर और गुणात्मक समाधान प्राप्त किया जा सके । यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान करने, मामले के काल के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है ।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए प्रारंभ की गई एक और नई सुविधा कलर बैंडिंग प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जाने सकने वाले स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित करती है और न्यायाधीशों को मामलों के लंबित स्तर के अनुसार उनकी सूची के बारे में सचेत करती है।

ix. साधारण लोगों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालत बहुत महत्वपूर्ण है, जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे-पूर्व स्तर के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-नियत तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार है :--

वर्ष	मुकदमा-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग

2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
2025 (मार्च तक)	2,58,28,368	50,82,181	3,09,10,549
योग	**22,21,01,916**	**5,33,91,016**	**27,54,92,932**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है ।

*टेली-लॉ डाटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

30 जून , 2025 तक	**रजिस्ट्रीकृत मामले**	**% वार विवरण**	**सलाह दी गई**	**% वार विवरण**
लिंग-वार				
महिला	44,81,170	39.58%	44,21,450	39.55%
पुरुष	68,39,728	60.42%	67,58,085	60.45%
जाति प्रवर्ग-वार				
सामान्य	26,89,371	23.76%	26,48,100	23.69%
अ.पि.व.	35,64,430	31.49%	35,16,236	31.45%
अ.जा.	35,27,303	31.16%	34,90,737	31.22%
अ.ज.जा	15,39,794	13.60%	15,24,462	13.64%
कुल	**1,13,20,898**		**1,11,79,535**	

xii. देश में प्रो-बोनो संस्कृति और प्रो-बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं । एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहां अधिवक्ता स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएं देने के लिए न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो-बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रर कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में वकीलों का प्रो-बोनो पैनल प्रारंभ किया गया है । उभरते वकीलों में प्रो-बोनो संस्कृति स्थापित करने के लिए 109 विधि विद्यालयों में प्रो-बोनो क्लब प्रारंभ किए गए हैं ।

(ग) : उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 30.06.2025 तक 14,38,198 मामलों की लंबितता के साथ 21 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों में 865 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) कार्यशील हैं। राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र -वार ब्यौरे उपाबंध-1 पर हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के अनुसरण में और स्वप्रेरणा रिट (दांडिक) संख्या 1/2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में, केंद्रीय सरकार अक्तूबर, 2019 से त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालय भी हैं। ये न्यायालय बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो)

अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के समयबद्ध परीक्षण और निपटान के लिए समर्पित हैं। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार, 30.06. 2025 तक 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 392 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित 725 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। स्कीम के प्रारंभ से अब तक, इन न्यायालयों ने सामूहिक रूप से 3,34,213 मामलों का निपटारा किया है, जबकि 2,00,349 मामले वर्तमान में लंबित हैं। राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र–ब्यौरे **उपाबंध-2** में दिया गया है।

(घ) : पिछले दो वर्षों में न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम के अधीन आबंटित और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे, विशेष रूप से पंजाब में, निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

पिछले दो वर्षों में आबंटित और उपयोग की गई कुल निधियां		
वित्त वर्ष	आबंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां
2023-24	1051	1060.17
2024-25	1123.40	1123.40
2025-26	998	50.48 (30.06.2025 ….)
पिछले दो वर्षों में पंजाब के लिए आबंटित और उपयोग की गई धनराशि		
वित्त वर्ष	आबंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां
2023-24	47.28	18.42
2024-25*	46.88	0.00
2025-26*	49.25	0.00 (30.06.2025)

* निधियां जारी नहीं की जा सकी, क्योंकि राज्य के एकल नोडल अभिकरण (एसएनए) खाते में अनुज्ञेय राशि से अधिक निधियां अव्ययित थी और वह केन्द्रीय निधि के नए अनुदान के लिए पात्र नहीं था।

उपाबंध- 1

'न्यायालयों में लंबित मामले से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1020 जिसका उत्तर 25.07.2025 को दिया जाना है के भाग (ग) में निर्दिष्ट उत्तर|

30.06.2025 तक कार्यशील त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कार्यशील एफटीसी की संख्या	लंबित
1	आंध्र प्रदेश	21	6915
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	16	13713
5	बिहार	0	0
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ	27	5816
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0	0
9	दिल्ली	26	6625
10	गोवा	4	1349
11	गुजरात	54	5316
12	हरियाणा	6	774
13	हिमाचल प्रदेश	3	332
14	जम्मू-कश्मीर	8	1423
15	झारखंड	41	9110
16	कर्नाटक	0	0
17	केरल	0	0
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0
21	महाराष्ट्र	102	153896
22	मणिपुर	6	199
23	मेघालय	0	0
24	मिजोरम	2	259
25	नागालैंड	0	0
26	ओडिशा	0	0
27	पुडुचेरी	1	4458
28	पंजाब	7	152
29	राजस्थान	0	0
30	सिक्किम	2	17
31	तमिलनाडु	72	80244
32	तेलंगाना	0	0
33	त्रिपुरा	2	1049
34	उत्तर प्रदेश	373	1057849
35	उत्तराखंड	4	1103
36	पश्चिमी बंगाल	88	87599
	कुल	**865**	**1438198**

उपाबंध -2

'न्यायालयों में लंबित मामले से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1020 जिसका उत्तर 25.07.2025 को दिया जाना है के भाग (ग) में निर्दिष्ट उत्तर।

30.06.2025 तक कार्यशील त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

_क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कार्यशील न्यायालय		लंबित
		अनन्य पॉक्सो न्यायालय सहित एफटीएससी	अनन्य पॉक्सो न्यायालय	
1	आंध्र प्रदेश	16	16	6303
2	असम	17	17	6435
3	बिहार	46	46	18459
4	चंडीगढ़	1	0	214
5	छत्तीसगढ	15	11	1739
6	दिल्ली	16	11	3560
7	गोवा	1	0	155
8	गुजरात	35	24	5315
9	हरियाणा	18	14	4420
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	643
11	जम्मू-कश्मीर	4	2	497
12	कर्नाटक	30	17	5220
13	केरल	55	14	6292
14	मध्य प्रदेश	67	56	10713
15	महाराष्ट्र	2	1	290
16	मणिपुर	2	0	49
17	मेघालय	5	5	1097
18	मिजोरम	3	1	75
19	नागालैंड	1	0	59
20	ओडिशा	44	23	9065
21	पुडुचेरी	1	1	218
22	पंजाब	12	3	1451
23	राजस्थान	45	30	4892
24	तमिलनाडु	14	14	5234
25	तेलंगाना	36	0	8782
26	त्रिपुरा	3	1	224
27	उत्तराखंड	4	0	1094
28	उतार प्रदेश।	218	74	92700
29	पश्चिम बंगाल	8	8	5154
30	झारखण्ड*	0	0	0
31	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह**	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश***	0	0	0
33	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	0	0	0
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	सिक्किम	0	0	0
	कुल	**725**	**392**	**200349**

टिप्पण: स्कीम के आरंभ में, देश भर में त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) का आबंटन प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित मामलों के मानदंड पर आधारित था, अर्थात प्रत्येक 65 से 165 लंबित मामलों के लिए एक त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित किया जाएगा। इसके आधार पर, केवल 31 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ही इस स्कीम में सम्मिलित होने के पात्र थे।

* झारखंड राज्य ने तारीख 07.07.2025 के पत्र द्वारा त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्कीम से बाहर निकलने का विनिश्चय किया है।

** अंदमान और निकोबार द्वीप ने इस स्कीम में सम्मिलित होने के लिए सहमति व्यक्त की है, किंतु अभी तक कोई भी न्यायालय परिचालित नहीं हुआ है।

***अरुणाचल प्रदेश ने बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की बहुत कम संख्या का हवाला देते हुए इस स्कीम से बाहर होने का विकल्प चुना है।

****